सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.02.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री गुंजेश्वर साह, स०वि०स० श्री विद्या सागर केशरी, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री अशोक कुमार चौधरी, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री विनय विहारी, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०	"पूर्णियाँ सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है । आये दिन प्रदेश की आम जनता साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं । प्रदेश में साइबर ठगी के अनुसंधान हेतु अलग से पुलिस बल को आई०टी० ट्रेनिंग दिलाकर जिलावार साइबर थाना में पदस्थापित करने से साइबर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है । जिस प्रकार अपराध नियंत्रण के लिए SC/ST थाना, महिला थाना का जिला स्तर पर गठन कर अपराध पर नियंत्रण पाया गया है, ठीक इसी प्रकार साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला स्तर पर तत्काल एक थाना की स्थपना करने की आवश्यकता है । अत: पूर्णियाँ सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध पर कारगर रोक लगाने के लिए एक-एक साइबर थाना की स्थापना करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	गृह

2. श्री महबूब आलम, स०वि०स०
श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०
श्री छोटे लाल राय, स०वि०स०
श्री अरूण सिंह, स०वि०स०
श्री अमरजीत कुशवाहा, स०वि०स०
श्री अजीत कुमार सिंह, स०वि०स०
श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०
श्री महा नंद सिंह, स०वि०स०
श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०
श्री मनोज मँजिल, स०वि०स०
श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स०
श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स०
डॉ० रामानन्द यादव, स०वि०स०

समाज कल्याण

"राज्य में वृद्धा पेंशन पाने वाले ऐसे हजारों वृद्ध, वृद्धा पेंशन से वंचित हैं जिन्हें पहले प्रखंड कार्यालयों या ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी या मुखिया के माध्यम से हाथों-हाथ नगद रूपये का भुगतान किया जाता था । जबसे लाभुकों को बैंक खाता में भुगतान किया जाने लगा है तबसे पेंशन पाने वाले लाभुक वृद्धों या वृद्धाओं के बैंक खाता में पेंशन राशि नहीं जाती है, जिस कारण पेंशन पाने वाले वृद्ध, वृद्धा पेंशन से वँचित हैं तथा पेंशन रहित जीवन जीने के लिए बाध्य हैं ।

पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि तमाम प्रक्रिया राज्य मुख्यालय से हो रही है ।

अतएव पूर्व में पेंशन पा रहे वंचित वृद्धजनों को पुनः पेंशन उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2021- 608 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रतिः-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/2021- 608 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23/2/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/2/2021